न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।

परिवाद पत्र संख्या :–64/2020

आदेश

05.03.2022 परिवादी रामानुज शर्मा अनुपस्थित है । अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को संज्ञान के विन्दु पर सुना जा चुका है । अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि परिवादी ने अभियुक्तगण नामतः मनोज शर्मा, राकेश रंजन उर्फ अभिषेक कुमार एवं पुष्पा देवी के विरूद्ध परिवाद पत्र लाया है । परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पर बयान के अतिरिक्त तीन जॉच साक्षी 1. निपु देवी, 2. सियामनी देवी एवं 3. रवीन्द्र कुमार पाण्डेय का जॉच परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया है । परिवाद पत्र, परिवादी का शपथ पर बयान, जॉच साक्षी के साक्ष्य एवं परिवादी की ओर से दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से परिवाद पत्र में उपरोक्त सभी नामांकित अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323 एवं 504 भा0द0सं0 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है । अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला बनता प्रतीत नही होता है ।

अतः उपरोक्त सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है तथा उन्हें विचारण हेतु आहुत किया जाता है ।

परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ दिनांकः–07–04–2022 वास्ते दाखिल करें ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।